

सं. क्र.

अपर सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तराखण्ड।
- 2- समस्त जिला मिशन प्रबंधक, एन0आर0एल0एम0
उत्तराखण्ड।

ग्राम्य विकास विभाग (यू0एस0आर0एल0एम0):

देहरादून: दिनांक: 19 नवम्बर, 2015

विषय: एन.आर.एल.एम. के अन्तर्गत सी0आर0पी0/सक्रिय महिला को मानदेय दिये जाने विषयक।

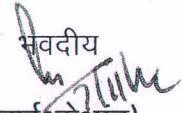
महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पूर्व में प्रेषित पत्रांक-454 दिनांक 04 दिसम्बर 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से एन0आर0एल0एम0 के अधीन ऐसे स्वयं सहायता समूह जिनको परिकामी निधि जारी की गई हो अथवा मुख्य विकास अधिकारी द्वारा संबंधित समूह को परिकामी निधि अवमुक्त करने की अनुसंशा की गई हो के आधार पर जिस सी0आर0पी0 द्वारा कम से कम पांच ऐसे समूहों का गठन कर लिया गया हो उस सी0आर0पी0 को प्रतिसमूह गठन हेतु रू0 2000/- की दर से मानदेय संबंधित सी0आर0पी0 को उसके खाते में सीधे यू0एस0आर0एल0एम0 द्वारा प्राविधान किया गया है।

इस क्रम में अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश से ऐसे सी0आर0पी0 ही आच्छादित हो रहे हैं जो राज्य के बाहर प्रशिक्षण प्राप्त हैं। राज्य के अन्दर प्रशिक्षित सक्रिय महिलाओं द्वारा भी एस0एच0जी0 गठन का कार्य किया गया है किन्तु उन्हें उक्त आदेश के आधार पर मानदेय दिये जाने की व्यवस्था नहीं है। साथ ही पुर्नगठित किये जाने वाले समूहों को भी मानदेय की व्यवस्था नहीं है। इस संबंध जनपदों से बार-2 निर्देश प्राप्त करने का अनुरोध किया जा रहा है। उक्त प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है सक्रिय महिला द्वारा सघन विकासखंडों में गठित किये जाने वाले नवीन समूहों तथा सघन/असघन विकासखंडों में स्वयं सहायता समूहों के पुर्नगठन करने वाले सी0आर0पी0/सक्रिय महिला को मानदेय की निम्नानुसार प्राविधान किया जाता है -

1. ऐसी सक्रिय महिला जिनके द्वारा एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत सघन विकासखंडों में कम से कम 05 ऐसे स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है जिन्हें परिकामी निधि (रिवाल्विंग फंड) प्राप्त हो गया है अथवा जनपद स्तर पर जिला मिशन प्रबंधक/ मुख्य विकास अधिकारी द्वारा किसी सक्रिय महिला द्वारा गठित 05 स्वयं सहायता समूहों का परिकामी निधि अवमुक्त करने की अनुसंशा की गई हो तो ऐसी सक्रिय महिला को रू0 1000 प्रतिसमूह की दर से मानदेय जनपद स्तर से सीधे सक्रिय महिला के खाते में अवमुक्त कर दी जाये।
2. सक्रिय महिला अथवा सी0आर0पी0 द्वारा यदि कम से कम 05 अथवा उससे अधिक समूहों को एन0आर0एल0एम0 कम्पलाइंट करते हुये पुर्नगठित किया गया है तथा उन समूहों को परिकामी निधि प्राप्त हो चुकी हो जिन्हें एस0जी0एस0वाई0 के तहत परिकामी निधि पूर्व में प्राप्त नहीं हुई हो या 05 या उससे अधिक ऐसे स्वयं सहायता समूह जिन्हें एस0जी0एस0वाई0 में परिकामी निधि प्राप्त हो, किन्तु इन्हें एन0आर0एल0एम0 कम्पलाइंट करते हुये पुर्नगठित/सशक्त कर बैंक लिंकेज किया जा चुका हो तो ऐसे पुर्नगठित/सशक्त करने वाले सी0आर0पी0/सक्रिय महिला को रू0 500 प्रति पुर्नगठित समूह की दर से मानदेय जनपद स्तर से सीधे सक्रिय महिला के खाते में अवमुक्त कर दिया जाए।
3. सी0आर0पी0 मानदेय हेतु पूर्व में जारी आदेश सं0 454 दिनांक 04 दिसम्बर, 2014 भी यथावत प्रभावी रहेगा।

उक्त व्यवस्था पूर्णतः अन्तरिम व्यवस्था होगी, सी0आर0पी0राउन्ड प्रारम्भ होने के पश्चात सी0आर0पी0 नीति के तहत भावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

(वाई0के0पत)
अपर सचिव।

प्रेषक

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
यू0एस0आर0एल0एम0, ग्राम्य विकास,
आजीविका भवन, सर्वेचौक, देहरादून। सेवा में,

सेवा में,

- 1- समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तराखण्ड।
- 2- समस्त जिला मिशन प्रबंधक, एन0आर0एल0एम0
उत्तराखण्ड।

ग्राम्य विकास विभाग (यू0एस0आर0एल0एम0):

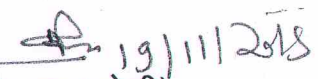
देहरादून: 20-11-2015

विषय: एन.आर.एल.एम. के अन्तर्गत सी0आर0पी0/सक्रिय महिला को मानदेय दिये जाने
विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर सचिव, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक
368/31/USRLM/2013 दिनांक 19 नवम्बर, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें
(छायाप्रति संलग्न)। उक्त पत्र के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में
वर्णित प्राविधानों के तहत पात्र सी0आर0पी0/सक्रिय महिला का मानदेय अवमुक्त किये जाने की
अधिकतम समयसीमा 15 दिन तय की जाती है। किसी भी दशा में मानदेय प्राप्ति हेतु पात्र
सी0आर0पी0/सक्रिय महिला का मानदेय, उर्पवर्णित पत्र में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार
पात्रता अवधि के 15 दिनों के अन्दर अवमुक्त करने का कष्ट करें।

भवदीय


(डी0आर0जोशी)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

प्रतिलिपि: 1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड शासन को उनके निर्देश के परिपालन में
सूचनार्थ।


(डी0आर0जोशी)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी।